## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 229/2024 निर्णय दिनांक: 30.06.2025

ऑनलाईन नम्बर 2024/473

परसाराम उम्र 56 वर्ष पुत्र स्व. लालूराम जाति सुथार निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी–

**बनाम**

1. गणेशाराम
2. नेमाराम
3. शंकरलाल
4. श्रवण

पुत्रगण स्व. लालूराम जातियान सुथार निवासीगण मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

5. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

–अप्रार्थीगण–

1. श्री साजिद खान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रणवीरसिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा नम्बर 1236 तादादी 7.69 हैक्टेयर रोही ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का 1/5–1/5 हिस्सा संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकित चला आ रहा है। खेत खसरा नम्बर 1236 रोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की खातेदारी में 1/5 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के नाम संयुक्त रूप से चली आ रही है, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 संयुक्त रूप से ही अपने–अपने हिस्सा भूमि को काश्त करते चले आ रहे है तथा संयुक्त रूप से खसरा भूमि पर कब्जा, काश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। वादगत खेत की खातेदारी संयुक्त चली आने से प्रार्थी को अपने खेत में सुधार करने, ट्यूबवैल बनाने सहित, बैंक ऋण लेने सहित काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थी अपने 1/5 हिस्सा का विभाजन करवाकर अपने हिस्सा की खातेदारी अलग दर्ज करवाना चाहता है। वादगत खेत की 1/5 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज होने से प्रार्थी को अपने हिस्सा का विभाजन करवाकर अपने हिस्सा की खातेदारी अलग से दर्ज करवाकर अलग लगान कायम करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण वादगत खसरा भूमि की खातेदारी संयुक्त होने का नाजायज फायदा उठाते हुये वादगत खसरा भूमि की उपजाऊ व कीमती भूमि को विक्रय, बैय या दिगर तरीके से मुन्तकिल करने [illegible] है तथा प्रार्थी को उसकी हिस्सा भूमि से वंचित करने पर आमदा [illegible] 30.11.2024 को प्रार्थी को धमकी दी कि हम वादगत खसरा भूमि में तुझे तेरे हिस्से से बेदखल कर देगे तथा तेरी फसल को खुर्द–बुर्द कर देगे, इसलिये प्रार्थी के पा[illegible] अपने अधिकारो की र[illegible] अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:14:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रार्थी ने वादगत खसरा भूमि की खातेदारी का सहमति से खाता विभाजन कर अलग से लगान कायम करवाने हेतु अप्रार्थीगण से निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल कर विक्रय, बैय या दिगर तरीके से मुन्तकिल करने पर आमदा हो रहे है, इसलिये प्रार्थी के पास अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा है। वादगत खेत की खातेदारी में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा, काश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है, इसलिये प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है व सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी को उसकी हिस्सा भूमि से वंचित कर बेदखल करने व वादगत खसरा भूमि को विक्रय, बैय या दिगर तरीके स मुन्तकिल करने पर आमदा है, अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्‌जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वोह वादगत खेत खसरा नम्बर 1236 तादादी 7.6900 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थी के 1/5 हिस्से भूमि को रहन, बैय या दिगर तरीके से मुन्तकिल ना करे, ना ही प्रार्थी को काश्त करने से रोकें, ना ही प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी देवे, ना ही ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य करे, जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारो पर विपरित असर पड़ता हो तथा ताफैसला दावा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 वादगत खसरा नं. 1236 तादादी 7.6900 हैक्ट वाकेरोही मोमासर मे अपने 1/5–1/5 हिस्से पर अलग अलग जगह सीमां कायम कर अपने हिस्से पर कब्जे काश्त के अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे है । प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की राजस्व रिकॉर्ड में उक्त वादगत खसरा की भूमि सयुंक्त है लेकिन मौके पर प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने उक्त वादगत भूमि का बटवारा काफी समय पूर्व हो चुका है तथा बटवारे के अनुसार ही प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 उक्त वादगत खसरे को कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थी ने अपने [illegible] के खसरा नं. 1236 में अपना अलग हिस्सा होना बताया है तथा इस खातेदारी को संयुक्त होना बताया है जोकि अपने आप में गलत कथन है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को उक्त वादगत खसरे से बेदखल या वंचित करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:44:48 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

की न तो कोई धमकी दी है ना ही अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का कोई दुर्राश्य नही है। प्रार्थी दिनांक 30.11.2024 को न तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 से मिला न ही प्रार्थी को जबरदस्ती प्रार्थी के कब्जे शुदा खेत में से बेदखल करने की धमकी दी। प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 अपने अपने 1/5 हिस्से की भूमि को अलग अलग अपने कब्जे के अनुसार काश्त कर रहे है। प्रार्थी ने न्यायालय को मुगालते में रखते हुये गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रार्थी न्यायालय श्रीमान से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही है तथा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 से न तो मिला न ही अप्रार्थी को खाता विभाजन के लिए मना किया तथा न ही अप्रार्थीगण द्वारा उसके कब्जे काश्त शुदा खेत से बेदखल करने की धमकी दी। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निराधार होने के कारण चलने योग्य नही है तथा काबिले खारिज है। प्रार्थी का यह मामला प्रथम दृष्टिया नही बनता है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र की आड में जो स्थगन आदेश जो न्यायालय श्रीमान द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को अपूर्णनीयक्षति हो रही है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 अपनी भूमि का विकास करने, लोन कृषि कनेक्शन आदि से पूर्णतः वंचित हो रहा है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन सिद्धांत व अपूर्णनीय क्षति का सिद्धांत अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में है न की प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की वादगत खसरा में राजस्व रिकॉर्ड मे अनुसार खातेदारी संयुक्त है लेकिन दिनांक 10.04.2006 को प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य रूबरू गवाहन हुये लिखित बटवारे के अनुसार उक्त वादगत खसरा नं. 1236 तादादी 7.6900 हैक्ट. वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ की भूमि को जरिये बटवारा मय नक्शा बनाकर अलग अलग भूमि को दर्शाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाकर अपना अपना हिस्सा नक्शा के अनुसार मौके पर सींव कायम कर विभाजन कर लिया था। उस समय प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के माता पिता की उपस्थिति में ये बटंवारा किया गया था। दिनांक 10.04.2006 को किये गये बटंवारे के अनुसार ही प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 उक्त वादगत खेत पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग करते आ रहे है। दिनांक 10.04.2006 के लिखित बटंवारे में प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के सहमति से नक्शा पर हस्ताक्षर किये हुये है तथा नोपाराम जाट पुत्र भैराराम जाट, छगनलाल पुत्र हुलासाराम नाई, उमाराम जाट पुत्र नारायणराम सारण निवासीगण मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ ने बतौर गवाहन इस बटंवारा नामा पर हस्ताक्षर किये थे। तब से प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 उक्त बटवारे के नक्शे के अनुसार वादगत खेत में अलग अलग कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त बटंवारा प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्सा 1 ता 4 के पिता लालूराम ने अपने जीवन काल में ही कर दिया था उसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 वादगत खेत पर काबिज है तथा अलग अलग काश्त कर रहे है। प्रार्थी की मंशा यह है कि अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर शांति पूर्वक काश्त न कर सके तथा न ही अपनी कब्जा काश्त की भूमि पर विकास कार्य कर सके । प्रार्थी को उक्त लिखित बटवारे के संबंध में पूर्ण ज्ञान है तथा उक्त बटवारे के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 उक्त खेत को अलग अलग सींव

3

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:14:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

सीमा कायम कर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग पिछले 20 वर्षो से कर रहे है । वादी के मन में लालच आ गया है तथा प्रार्थी दावे की आड में अप्रार्थीगण की उपजाऊ व विकसीत की गई भूमि को हडप करना चाहता है तथा अप्रार्थीगण को अन्य विकास कार्य करने में बाधा उत्पन कर रहा है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना–पत्र न्यायालय को मुगालते में रखते हुये सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थी क्लीन हैंड से न्यायालय के समक्ष नही आया है। इसलिए प्रार्थी न्यायालय से किसी प्रकार की कोई रीलिफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है न ही प्रार्थी का उक्त प्रार्थना–पत्र चलने योग्य है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में चाही गई रीलिफ को अस्वीकार करते हुये तमाम तथ्यों को व विधिक परिस्थितियों व दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को खारीज किये जाने का निवेदन किया गया एवं बहस के समर्थन में माननीय सुप्रीम कोर्ट की नजीर 2019(2) आरआरटी 777 पेश की गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादगत खसरान भूमि खेत खसरा नम्बर 1236 तादादी 7.69 हैक्टेयर रोही ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का निर्धारण मूल वाद में पूर्ण साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। दौराने वाद यदि अराजी को खुर्द–बुर्द कर दिया जाता है तो पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता बढेगी। अन्तरिम आदेश यदि पारित नहीं किया गया तो वाद बाहुल्यता की संभावना है। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को अधिकारों कें संबंध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में बनायें रखना है। प्रथम दृष्ट्या, मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बिजली एवं टयूबल कृषि कनेक्शन पर लागू नहीं होगी। उभयपक्षकारान तादावा फैसला मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें।

आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

**आदेश सरे इजलास सुनाया गया।**

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:14:48 IST
Reason: SelfAttested